पत्रांक–07/स्था.–01–02/2025 321

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

पंकज कुमार, भा.प्र.से.,
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 27/1/25

विषय–राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या के मानक निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 24.01.2025 को संपन्न विडियो कॉन्फ्रेसिंग में शिक्षकों की संख्या के संबंध में किए गए विमर्श के आलोक में राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या के संबंध में मानक निर्धारण करने हेतु अनुरोध किया गया था। इस क्रम में राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 01 से 05) में कम से कम 05 शिक्षक (01 प्रधान शिक्षक सहित) का मानक निर्धारित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 01 से 05 तक)

नामांकन	**मानक शिक्षकों की संख्या**	**शिक्षक का विवरण**	**अभ्युक्ति**
01–120 (एक से एक सौ बीस)	04	सहायक शिक्षक/विद्यालय अध्यापक/विशिष्ट शिक्षक/स्थानीय निकाय शिक्षक	प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक वर्ग कक्ष होना चाहिए। शिक्षकों (सामान्य, उर्दू एवं बांग्ला सहित) का वास्तविक आकलन विद्यालय में कमरों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
121–150 (एक सौ इक्कीस से एक सौ पचास)	05		
150 से अधिक (एक सौ पचास से अधिक)	प्रत्येक 40 (चालीस) विद्यार्थी पर 01 शिक्षक		
प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 01 (एक) प्रधान शिक्षक का पद स्वीकृत है, जो उपरोक्त के अतिरिक्त होगा।			

2. इसी प्रकार मध्य विद्यालय (कक्षा 01 से 08 तक) में कम से कम 09 शिक्षक (01 प्रधानाध्यापक सहित) का मानक निर्धारित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

मध्य विद्यालय (कक्षा 01 से 08 तक)

कक्षा	**नामांकन**	**मानक शिक्षकों की संख्या**	**शिक्षक का विवरण**	**अभ्युक्ति**
01 से 05 तक	01–120 (एक से एक सौ बीस)	04	सहायक शिक्षक/विद्यालय अध्यापक/विशिष्ट शिक्षक/स्थानीय निकाय शिक्षक	प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक वर्ग कक्ष होना चाहिए। शिक्षकों (सामान्य, उर्दू एवं बांग्ला सहित) का वास्तविक आकलन विद्यालय में कमरों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
	121–150 (एक सौ इक्कीस से एक सौ पचास)	05		
	150 से अधिक (एक सौ पचास से अधिक)	प्रत्येक 40 (चालीस) विद्यार्थी पर 01 शिक्षक		
	जिन मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक (मूल कोटि) कार्यरत हैं, उन विद्यालयों में स्वीकृत एवं कार्यरत बल में 01–01 शारीरिक शिक्षक अंकित किया जाएगा।			
06 से 08 तक	01–105 (एक से एक सौ पाँच)	04 {विज्ञान एवं गणित–01, सामाजिक अध्ययन 01, भाषा (हिन्दी)–01, भाषा (अंग्रेजी)–01}	सहायक शिक्षक/विद्यालय अध्यापक/विशिष्ट शिक्षक/स्थानीय निकाय शिक्षक	आवश्यकतानुसार भाषा अंतर्गत उर्दू एवं संस्कृत शिक्षक का प्रावधान किया जा सकता है।

	105 से अधिक (एक सौ पाँच से अधिक)	प्रत्येक 35 विद्यार्थी पर 01 शिक्षक		विषयवार शिक्षकों की संख्या का निर्धारण जिला स्तर पर किया जाएगा। नामांकन अधिक होने की स्थिति में विज्ञान एवं गणित के 01 से अधिक शिक्षक रखे जा सकते हैं। उर्दू एवं संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दृष्टिपथ में रखते हुए इन विषयों के शिक्षक के पद का भी प्रावधान किया जा सकेगा।
प्रत्येक मध्य विद्यालय में 01 (एक) प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत है, जो उपरोक्त के अतिरिक्त होगा।				

3. वैसे माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहाँ वर्ग 01 से 08 तक की कक्षाएँ संचालित होती हैं, उन विद्यालयों में भी वर्ग 01 से 05 तक तथा वर्ग 06 से 08 तक के लिए शिक्षकों की संख्या का निर्धारण कंडिका–02 एवं 03 के अनुरूप किया जाएगा।

अतः निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर प्राथमिक/मध्य विद्यालयवार शिक्षकों का स्वीकृत बल एवं आवश्यक शिक्षकों की संख्या से संबंधित आँकड़ों की प्रविष्टि दिनांक 31.01.2025 तक कराना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

27/1/2025

(पंकज कुमार)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।